AGPE The Royal Gondwana Research Journal of History, Science, Economic, Political and Social Science
ISSN (E):2583:1348, ISSN(P): 2582:8800 | A Peer reviewed | Open Accsess & Indexed
Volume 03 | Issue 01| January 2022 | ***www.agpegondwanajournal.co.in*** | Page No. 29-32

जनजातियों की आर्थिक समस्यांऐ और समकालीन चुनौतियां

Dr. Pramod Shinde
Assistant Professor
Department of Economics
Navbharti Art, Science and Commerce College, Gadchiroli, M.S

सारांश:

भारत देश में गोंड और आदिवासी समाज जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं जिनकी कम से कम आबादी ३ करोड के ऊपर है | 2006 मैं आदिवासियों को आज के हक दिलाने के लिए फॉरेस्ट लॉ पास किया गया | आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में इसकी समीक्षा हुई थी | एन आई आर डी (NIRD) कैंपस में दो दिवसीय इस सरकारी समीक्षा सभा में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के प्रतिनिधि उपस्थित थे | महाराष्ट्र राज्य से चांदागढ़ (चंद्रपुर) के गोंडराजा डॉ. बिरशाहा आत्राम और राजकुवर विक्रांतशाह आत्राम उपस्थित थे|

आदिवासी जंगलों में रहकर अपना गुजर-बसर करते हैं खेत खलियान करते हैं उन्हें उनकी जमीन के पट्टे भारत सरकार द्वारा देने के लिए और उनका जंगलों पर हक मान्य करने के लिए 2006 का फॉरेस्ट लॉ पर बैठक चल रही थी और उसमें संशोधन कर आदिवासी गोंड के ऊपर होने वाले अत्याचार को खत्म करने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा था| इस पर अन्य प्रांतों के आदिवासी (विभिन्न) आदिवासियों के मुखिया उपस्थित रहकर सुझाव दे रहे थे आदिवासी घबरा गये| जो अधिकार आदिवासी अन्य जनजातियों के साथ गोंड समुदाय को मिला था वह सरकार से खतरे में पड़ गया|

CORRESPONDING AUTHOR:	RESEARCH ARTICLE

Dr. Pramod Shinde
Assistant Professor
Department of Social Science
Navbharti Art, Science and Commerce College, Gadchiroli, M.S
Email: shindepramod.eco@yahoo.com

प्रस्तावना:

इसमें भारत सरकार के केंद्रीय समिति ने इस सभा में अन्य प्रांतों के आदिवासी मुखियाओ के सुधार के साथ गोंडराजा डॉ. बिरशाहा आत्राम का प्रस्ताव स्वीकार करके केंद्र सरकार ने 2006 का फॉरेस्ट कायदा मंजूर कर आदिवासियों को उनकी जंगलों में स्थित जमीन मकान और खेतीयों को अधिकार मंजूर करके जमीनों को आदिवासियों को बांट कर देने का कार्य शुरू किया | बहस में आखिरी दिन महाराष्ट्र राज्य चांदा गढ़ के गोंडराजा डॉ. बिरशाहा आत्राम इन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि, मध्य भारत के साथ रेड कॉरिडोर में आने वाले सभी आदिवासियों को पांचवी सूची से निकाल कर ६वी सूची में भारतीय संविधान के अंतर्गत लाने से किसी फॉरेस्ट लॉ बनाने की जरूरत केंद्र सरकार को नहीं पड़ेगी | आदिवासी बहुल छठवी सूची के सभी स्टेट (राज्य) खुद-ब-खुद जंगल अधिकार कानून बनाकर अपना अधिकार जता पाएंगे|

संशोधनके उद्देश:

1. जनजातियों की आर्थिक समस्यांऐ और समकालीन चुनौतियों को समझना।
2. जनजातियों की आर्थिक समस्यांऐ और व्यवस्था का अध्ययन।

विश्लेषन:

इसके लिए आदिवासी प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास आयुक्त और राज्यों की आदिवासी विकास मंत्री द्वारा अधिकार सौंपने का कार्य शुरू हुआ| अवैध रूप से फॉरेस्ट जमीनों को (वन जमीन) अधिकारिक होता देख कुछ राजनीतिक पार्टियों को बड़ा दर्द हुआ वे सुप्रीम कोर्ट चले गए और जनहित याचिका डाल कर कहने लगे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है| आदिवासी गोंडो को जंगलों से बाहर निकालो| इससे यह हुआ कि, जंगलों में रहने वाले 20 लाख से ज्यादा आदिवासी खतरे में पड़ गए |

अन्य राज्यों के रेड कॉरिडोर मे रहने वाले आदिवासीयों की जनगणना की संख्या गिनती में अधिकारियों ने गड़बड़ कर दी | फिर भी 45 मे से 24 लाख आदिवासियों की दावेदारी स्वीकार कर ली गई फिर भी जंगल जमीन वितरण में 22 लाख आदिवासी अस्वीकृत रह गए| 20 से 23 लाख आदिवासी संकट के घेरे में आए जिन्हें जंगलों में

रहते हुए भी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला| ऐसे समय में भारत सरकार 2014 में बदल गई और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई| सरकार के दबाव में भारत सरकार के न्यायिक कई व्यवस्थाये बाधित होने लगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल होते दिखाई देने लगा| 2014 से जंगलों के 2006 के कानून को सरकार ने बदलने का फैसला लिया, जिसके तहत वन मंत्रालय, न्याय व्यवस्था और प्रशासकीय व्यवस्था आती थी | धीरे - धीरे सरकार ने अपने खुद के फायद के लिये सरकारी, गैर सरकारी नुमाइंदे हर जगह नियुक्त करते गए जिससे न्याय व्यवस्था बाधित होने लगी|

सुप्रीम कोर्ट भी इससे अछूता नहीं रह सका | तब जाकर जंगलों में रह रहे आदिवासियों पर गाज गिरी | सरकार चाहती थी की सुप्रीम कोर्ट ने पारित किये कानून से जंगलों के आदिवासियों को बेदखल किया जाए| इसमें 2014 से चली आ रही केंद्र की बीजेपी सरकार ने "पेसा" कानून में हेरफेर करना शुरू किया| स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया के अगुवाई में आयोग बनाकर पेसा कानून लाया गया| गोंड गण समूह और उनके 47 उपशाखाओं में यह विश्वास है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर मृत होता है तो वह भूत-प्रेत, शैतान नहीं होता। इसलिए मृत व्यक्ति का जितना जल्दी हो सके 'देवकारण' गोंडी देवताओं में मृतक आत्मा को मिलाने का विधि जो धार्मिक मान्यता से परंपरागत चला रहा है उसे किया जाता है इस प्रकार गुणों में मृतक की आत्मा को सम्मान दिया जाता है। सर्वशक्तिमान गोंडों के आराध्य पेरसापेन देवताओं और गोंड गणों के पूर्वज गोंड परिवार के मृत व्यक्ति की आत्मा को अपने में समाविष्ट कर लेते हैं इसीलिए गोंड गणों के सामाजिक व्यवस्था में मृत व्यक्ति को जलाने की प्रथा पर सामाजिक प्रतिबंध है। गोंड गण समाज गैर धर्मों की प्रथा को मान्यता ना दें जिससे उसके सामाजिक व्यवस्था का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वह खतरे में पड़ जाए। इसको वे सुरक्षित रखकर समाज को एकता में रखते हैं गुरु गुरू पहांदीपारी कुपार लिंगो की शिक्षा को वह सर्वथा सन्मान देकर नियमों का पालन करते हैं गोंड गण समूह के सामाजिक कानून व्यवस्था और रायपंचायत भी किसी गैर धर्म के परंपरा को गोंड गण समूह के सामाजिक परंपरा के साथ उपयोग में लाने की मान्यता नहीं देते फिर से हमें यह समझना चाहिए कि गोंड गन समूह और उसके 47 उपशाखा है यह विश्वास रखती है कि सर्वशक्तिमान पेरसापेनपर ही उनके प्रमुख देवता है और कोई नहीं। अखिल भारतीय गोंडी धर्म संसद यह सुधारित नियमों को संशोधित कर व्यर्थ के बातों को छोड़ महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान पर ही गोंडी धर्म के समाज कानून को चलाने के लिए कार्यान्वित कर रही है और उसे गोंडी संसद और गोंडी सामाजिक कानून समिति मान्यता प्रदान करती है।

निष्कर्ष:

पेसा कानून बनाने की कोई मांग आदिवासी जनजातियो ने भारत देश के भारत सरकार को नहीं की थी| पेसा कानून में " ग्राम विकास के अधिकार ग्राम के हाथ" जिसमें ग्राम संरक्षण, जमीन अधिग्रहण ऐसे मुद्दों को सामने रखकर कुछ बातों में फायदे भी दिखा कर इसी कानून में दूसरा उलझा हुआ मुद्दा जो लाया गया वह सरकार अपने अधिकार से बिना ग्राम को पूछते हुए जबरदस्ती से जंगल जमीन अधिग्रहित कर सकती है|

आदिवासियों ने पेसा कानून का छुपा हुआ एजेंडा समझने में देरी की और पेसा कानून पास हुआ| इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आधार प्राप्त हुआ कि सरकार के हित में अगर वन जमीन वह अधिग्रहित करना चाहती है तो बिना कुछ कहे वह (केंद्र सरकार) फॉरेस्ट लॉ 2006 को निरस्त करके आदिवासियों से जमीन बिना मुआवजा दिए हस्तगत कर सकते हैं| और अगर आदिवासी, वनवासी या गिरिजन बीच में आकर केंद्र सरकार के आड़े आते हैं तो उन्हें बिना झिझक बंदूक की गोलियों से मार डाला जा सकता है| इस पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद केंद्र की सरकार ने तत्काल प्रस्ताव को रेड कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों के वन मंत्रियों को भेजा गया जहां पर बीजेपी का शासन है ताकि आदेशों के प्रस्तावों को मान्यता मिल सके|

संदर्भ:

1) डॉ. आगलावे प्रदीप : "आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र" श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, (२०१२) पृ. क्र. ३५१.

2) डॉ. आगलावे प्रदीप उपरोक्त (२०१२) पृ. क्र. ३५३, ३५४. २४) डॉ. देवगावकर एस. जी. "महाराष्ट्रातील निवडक जाती-जमाती" श्री साईनाथ, प्रकाशन, नागपूर, (२०१३)

3) डॉ. आगलावे प्रदीप : "आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र" श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर (२०१२)

4) डॉ. आगलावे प्रदीप: "आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र" श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, (२०१२) पृ. क्र. १६, १७.

5) "वार्षिक रिपोर्ट: आदिवासी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, २०१३-१४

6) डॉ. मारोती तेगमपुरे : "आदिवासी विकास आणी वास्तव" चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद, (२००९)

■ ■ ■